न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 50/2005

उनवानी प्रकरण : 1- कोमलसिंह
2- सीयाराम
3- फूलसिंह
पुत्रगण जनवेद जाति लोधा निवासीगण मरैना तहसील राजाखेड़ा
4- प्रीतमसिंह
5- हेमसिंह
6- महेन्द्रसिंह
पुत्रगण मवासिया जाति लोधा निवासीगण मरैना तहसील राजाखेड़ा

------वादीगण

बनाम

1- पूरनसिंह पुत्र मवासिया जाति लोधा निवासी मरैना तहसील राजाखेड़ा (फौत)
2- नन्नो पत्नी विन्दावन कौम लोधा निवासी भूरा का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3- तहसीलदार राजाखेड़ा बहैसियत लैण्ड होल्डर

------प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा, कुब्जा दिलाने, स्थाई निषेधाज्ञा व बटवारा काश्त

उपस्थिति : 1- श्री अश्विनी कुमार जैन एड० वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक :- 02/5/2019

वादीगण द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53, 54 आर.टी.ए. इस न्यायालय मे इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजीख० नं० 182 रकबा 02 बिस्वा, 183 रकबा 02 बिस्वा, 87 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, 180 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम मरैना तहसील राजाखेड़ा एवं आ.ख.नं० 752/96 रकबा 12 बिस्वा स्थित ग्राम इन्द्रावली मे स्थित है। खेवट सं 80 मे हिस्सा बराबर भाग तथा खेवट सं 465 की आराजी मे वादीगण सं 1 ता 3 1/2 भाग के तथा वादीगण सं 4 ता 6 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। इसी प्रकार इन्द्रावली मे स्थित आराजी मे भी बराबर बराबर भाग के खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। साबिक मे उपरोक्त आराजियात के खेवट सं 80 की आराजी मे मु० शामलात 1/3 भाग का एवं खेवट सं 465 की आराजी मे तन्हा खातेदार था। मामलिया

क्रमशः----

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

होना मानते हुए निर्णय दिनांक 20..
मामला वाद के निर्णय के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर मु० नत्थो ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की थी उक्त अपील मे मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 12-10-2000 के निर्णय से प्रकरण तहसीलदार राजाखेडा को प्रतिप्रेषित किया गया था तहसीलदार राजाखेडा के यहां पत्रावली दिनांक 26-5-05 का निर्णय पारित कर निर्णय नत्थो के पक्ष मे दिया था उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीगण ने अपील सम्भागीय आयुक्त भरतपुर मे प्रस्तुत की थी। जिसमे सम्भागीय आयुक्त महो० द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 26-9-2008 को अपील को खारिज कर दिया तथा तहसीलदार राजा[खेडा] के निर्णय को बरकरार रखा है। तहसीलदार राजाखेडा के निर्णय पर प्रतिवादी आरसी को अपने नाम अंकन कराकर, कब्जा कास्त मे बाधा पैदा कर रहे है तथा रहन बन्द करने पर आमादा है। दावा दायरी से तीन दिन पूर्व उन्होने धमकी दी है कि तहसीलदार के निर्णय हमारे हक मे हुआ है।

क्रमश...

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

एक वृद्ध व्यक्ति था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वादीगण का भतीजा जन था।
एक वृद्ध व्यक्ति था। उसके कोई एक नहीं था। वादीगण का चाचिया जन था। वादीगण ही सामाजिया की सेवा सुश्रुषा करते थे उपरोक्त आराजी की व्यवस्था करते थे। वादीगण की सेवाओं से खुश होकर सामाजिया ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 6-9-1996 को सुबह, कपूरचन्द जैन डीड राईटर से, एक वसीयतनामा स्वेच्छा से खुशी से, वादीगण के हक मे तहरीर कराकर किया था। अपने निशानी अंगूठा लगाकर गवाहान की गवाही कराई थी। यह वसीयतनामा बिल्कुल सही है। सामाजिया का देहान्त भी अचानक उसी दिनांक को हो गया। तब से वादीगण ही सामाजिया आदि छोड़ी गयी विवादित आराजी एवं मकान आदि पर, बतौर वारिस एवं खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। सामाजिया की मृत्यु के बाद मु० नक्शो प्रतिवादिनी सं. 2 की नीयत में बदी आ गयी और वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा करना शुरू कर दिया और उक्त वसीयत दिनांक 6-9-1996 को फर्जी बताया तथा न्यायालय श्रीमान मे एक वाद नक्शो बनाम मूला वगै० घोषणा का पेश किया था। जिसमें वादीगण ने जवाब पेश किया। तब उसने वसीयत को सही मानते हुए नक्शो ने स्वेच्छा से दिनांक 4-2-99 को वाद वापिस कर लिया। तब से वादीगण विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जनवेद कौर हो चुकी है। वादी सं 1 ता 3 उसके वारिस हैं। वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वादीगण के हक मे नामान्तकरण स्वीकार कर दिया था बाद मे न्यायालय SDO धौलपुर से भी नामान्तकरण की कार्यवाही सही होना मानते हुए निर्णय दिनांक 29-10-99 को यह आदेश दिया था कि सक्षम वाद के निर्णय के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर मु० नक्शो ने आर० सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील मे मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 12-10-2000 के निर्णय से प्रकरण तहसीलदार राजाखेड़ा को प्रतिप्रेषित किया गया था। तहसीलदार राजाखेड़ा के यहाँ पत्रावली पर दिनांक 26-5-05 को निर्णय पारित कर निर्णय नक्शो के पक्ष मे दिया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीगण ने अपील सम्भागीय आयुक्त भरतपुर मे प्रस्तुत की थी। जिसमे सम्भागीय आयुक्त महो० द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 26-9-2008 को अपील को खारिज कर दिया तथा तहसीलदार राजाखेड़ा के निर्णय को यथावत रखा है। तहसीलदार राजाखेड़ा के निर्णय पर प्रतिवादी आराजी को अपने नाम अंकन करा कर, कब्जा काश्त मे बाधा पैदा कर रहे हैं तथा रहन बन्द करने पर आमादा है। दावा दायरी से तीन दिन पूर्व उन्होंने धमकी दी है कि तहसीलदार के निर्णय हमारे हक मे हुआ है।

क्रमशः ...

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

इस आराजी को ~~ककर~~ अपने नाम दर्ज कराकर नाजायज कब्जा करेंगे तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-5-05 से वादीगण के स्वत्व घोषणा के वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यह मूल वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा मुताबिक प्रार्थना डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है कि दर्ज खसरा आराजी के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा आराजी का नाम मौरूसी एवं वारिसान बटवारा किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तामील किया गया। प्रतिवादी क्रं. 1 चूनाबाई दौराने दावा फौत हो गये। प्रतिवादी क्र. 2 नन्द्री अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उपस्थित आयी। उनके द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के कथनों से सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया है कि वह अपने पिता सायरसिंह की पुत्री है तथा एकमात्र वारिस विवादित आराजी की है वह पिता के जीवनकाल में काश्त में शरीक रह कर उपयोग करती थी। सायरसिंह ने वादीगण के हक में कोई वसीयत नहीं की है यह वसीयत फर्जी है। सायरसिंह अपनी मृत्यु से पूर्व सुध बुध खो बैठा था। ऐसी स्थिति में वसीयत करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह वसीयत साजिश कर तैयार की गयी है। प्रतिवादीगण ने सायरसिंह की काफी सेवा सुश्रुषा नहीं की है। वादीगण का दावा कानून के अभाव में पोषणीय नहीं है प्रतिवादीगण साजिश करके आराजी हड़पना चाहते हैं। इसलिए दावा काबिल खारिज है एवं खारिज किया जावे तथा वादीगण को जरिये काउन्टर क्लेम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। पूर्व का दावा नन्द्री ने मूल में उत्तराधिकार के हकों का स्वीकार कर लिया था तथा वादीगण के अंगूठे से निकलकर पिता की जायदाद हड़पने लगे थे ऐसा दावा खारिज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उनकी मृत्यु से पूर्व इकबाल दावा पेश किया गया है।

तदुपरान्त निम्नानुसार तनकीहात कायम की गयी

(1) आया सायरसिंह ने अपनी खातेदारी की आराजी की वादीगण की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर दि. 6/9/98 को वसीयत वादीगण के पक्ष में निष्पादित की थी" ---- वादीगण

(2) आया कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। ---- वादीगण

(3) आया कि मु. नन्द्री ने स्वत्व घोषणा का दावा वसीयत को सही मानकर ही खारिज कराया। ---- वादी

उपखण्ड अधिकारी

आया कि वसीयत को सत्य मानकर ही पेशकार ने नामान्तरण स्वीकार किया एवं अपीलाधिकारी ने सही माना किन्तु ADC का आदेश मननाजा है। ------ वादी

5- आया वादीगण मु. नम्बो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा जाने के अधिकारी हैं। ------ वादी।

6- आया कि तहसीलदार राजाखेड़ा के निर्णय का वादपत्र कर्ता ग्राम है।

7- आया कि प्रतिवादी सं.2 अपने पिता की एकमात्र सन्तान है और वह अपने पिता के समस्त काबिज कायम है। ---- प्रतिवादी

8- आया कि वादीगण का जो इकरारनामा है वह जाली एवं फर्जी है। -- प्रतिवादी

9- आया कि सोबरन सिंह अपनी मृत्यु से पूर्व ही शुद्ध बुद्ध नहीं थे।। ---प्रतिवादी

10- आया कि वादग्रस्त आराजी सोबरन सिंह की पैतृक आराजी है जिसकी वसीयत करने का सोबरन सिंह का कोई अधिकार नहीं था ---प्रतिवादी

11- आया कि प्रतिवादी सं.2 वादीगण को जरिये काउन्टर क्लेम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा जाने की अधिकारी है ---- प्रतिवादी

साक्ष्य वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम मरैना सं. 2059-2062, प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी सं. 2059-2062 स्थावर प्रदर्श-3, एवं असल वसीयतनामा प्रदर्श-1 तथा नकल आदेश दिनांक 4-2-99 मुकदमा नम्बर पत्रावली क्र.न. 35/97 पेश किये हैं। मौखिक साक्ष्य मे बयान कोमल सिंह PW-1, बयान मुरारीलाल PW-2, एवं बयान नाहर सिंह PW-3 कराये हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य मे, नकल निर्णय अपील संख्या 16/08 न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर उनके कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी

प्रतिवादी सं. 2 नम्बो दिनांक 18/5/19 को स्वयं एवं न ही उनके वकील न्यायालय मे उपस्थित आये अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी तथा काउन्टरक्लेम को अदम पैरवी मे खारिज किया गया।

बहस एकपक्षीय वकील वादीगण सुनी गयी वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस मे वादपत्र के तथ्य दोहराये

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः --- 5

बताया कि अपील

को दोहराया तथा अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार
पर दावा को पूरी तरह साबित होना बताया, तथा दावा डिग्री
किये जाने बाबत निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन
में उनके द्वारा यह भी कथन किया कि नामान्तकरण की
कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग होती है। निष्पादित दावा में ही
तय हो सकता है। वसीयत
अटेस्टेड के विधिक/साबित होना वसीयत का दो गवाह द्वारा
का पर्पोर्टर होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकरण में भी वसीयत
साबित करना आवश्यक होता है। इस प्रकरण में भी वसीयत
को गवाह मुरारीलाल व नत्थी खाँ द्वारा अपने बयानों से
साबित किया है। हमारे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अकाट्य है
जिसे सही नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। वसीयत को
कम से कम एक गवाह द्वारा साबित करना आवश्यक होता है। इसलिए उनका
दावा पूरी तरह साबित है। अपने कथनों के समर्थन में उनके
द्वारा RRD 1993 पृष्ठ 38, RRD 1992 पृष्ठ 360, DHJ 2003
पृष्ठ 347, DHJ 2002 पृष्ठ 40, RBJ 2004 पृष्ठ 155, एवं DHJ
1995 (SC) पृष्ठ 401, तथा RBJ 1998 पृष्ठ 438 की कानूनी
नजीरें पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष
वकील वादीगण पर मनन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार
से है:-

तनकीह नम्बर 1 :- इस तनकीह को साबित करने का भार [illegible]
वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-1 वसीयतनामा से
यह स्पष्ट है कि दिनांक 6-9-1996 को रामभरोसी द्वारा वादीगण
इक के अपने पूर्ण होश हवाश में गवाहान के समक्ष, अपनी चल
व अचल सम्पत्ति की वसीयत वादीगण की सेवा सुश्रुषा से [illegible]
होकर की थी। इस वसीयत को अपने राजस्व पूर्वक कलम
द्वारा कोमल। निर्वादी द्वारा पुष्टि की है। साथ ही दो स्वतन्त्र गवाह
शरवन्द मुरारीलाल एवं गवाह नत्थी खाँ द्वारा अपने शपथ
पूर्वक बयानों में वसीयत को रामभरोसी द्वारा पूर्ण होश हवाश
वादीगण के पक्ष में निष्पादित करना साबित किया है। उक्त दो
के वसीयत पर हस्ताक्षर है। इसलिए उक्त दोनों कथनों से
वसीयत वादीगण के हक में निष्पादित होना साबित होती है।

क्रमशः

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वसीयत को फर्जी एवं फर्जी माना जा सके मा० राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने पारित निर्णय दिनांक 3-4-98 सरकार VS कृष्ण में यह भी प्रतिपादित किया है कि " will is valid even written on simple paper and unregistered also But what is required to be seen is that the document which is sought to be relied upon is a genuine Document and on the basis the plaintiff's suit was required to be decree (1984 RRD पेज 194) इस प्रकार उपरोक्त कानूनी नजीरें प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-2 :- इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी से यह साबित है कि ग्राम मरेना के खसरा नम्बर 80 में वादीगण खातेदार के रूप में शामिल रूप से एवं खसरा नं. 183 में तन्हा काश्तकार एवं ग्राम [illegible] की आराजी में तन्हा काश्तकार खातेदार काश्तकार है। तनकी नम्बर-1 के विवेचन से एवं गवाहान के स्वतंत्र बयानों से वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्तकार होना पाये जाते हैं। अतः यह तनकी भी वहक वादीगण एवं विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर-3 :- इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। इस तनकी को साबित करने के लिए उन्होंने प्रमाण नक्शो बनाम मूलो के निर्णय दिनांक 4/2/99 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें दावा को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। वादी द्वारा बाद इस वाद को पुनः नम्बर पर लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर उसके हक को स्वीकार कर लिया था इसलिए इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वादिया नक्शो ने दावा वसीयत को सही मानकर ही खारिज कराया था इसलिए यह तनकी भी वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 2 तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4: इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। इस तनकी को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः....

प्रस्तुत नहीं की है। यथाकथित आदेश समभागीय आयुक्त द्वारा नामान्तकरण को तहसीलदार राजाखेड़ा के पास अधिर ... के लिए रिमाण्ड किया गया होगा, उसे मनमाना नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह तनकी विरुद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर-5 :- तनकी नम्बर 1 व 2 के निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण वसीयत के आधार पर रामकिशन द्वारा छोड़ी गयी विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा काबिज काश्त भी हैं। प्रतिवादिया नं. 2 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार शेष नहीं बचता है, इसलिए विवादित भूमि में हस्तक्षेप करने के कारण वादीगण प्रतिवादी सं. 2 नत्थो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अधिकारी साबित होते हैं। इस प्रकार यह तनकी भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 2 तय की जाती है।

तनकी नम्बर-6 :- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस वाद में प्रस्तुत नहीं की गयी है। लेकिन समभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय में इसका उल्लेख है। तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही पर ही निर्णय पारित किया गया है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक SUMMERY PROCIDING (संक्षिप्त कार्यवाही है) यह वाद एक नियमित वाद है (Regular Suit) है। संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत की अवैधता अथवा वैधता के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस तथ्य को तो नियमित दावे में उभयपक्ष को सुनकर तय किया जा सकता है। समभागीय आयुक्त महो० भरतपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 26/9/2008 जो तनकीह पस नक्ल में इस तथ्य का उल्लेख किया है। इसलिए तहसीलदार राजाखेड़ा एवं समभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णयों का इस वाद पर कोई प्रभाव नहीं है। यह तनकी भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं 2 तय की जाती है।

तनकी नम्बर-7 :- इस तनकी में प्रस्तुत दावा, जवाब दावा एवं बयानात के आधार पर यह साबित होता है कि प्रतिवादी सं. 2 नत्थो रामकिशन की एकमात्र सन्तान है। रामकिशन की आराजी समय पर कागज में सहयोग करता पता चलता है लेकिन काबिज काश्त होना साबित नहीं होता है। इसलिए यह तनकी भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं 2 तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः-- 8

बताया कि अपील विचाराधीन होने का कोई ... पत्रावली ... नहीं है।

तनकीह नम्बर-8 :- इस तनकीह को साबित करने का भार प्रतिवादी सं.2 पर है। ऐसा कोई योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत को जाली एवं फर्जी माना जा सके। तनकीह नम्बर 1 के विवेचन में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए यह तनकीह भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकीह नम्बर-9 :- इस तनकीह को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकीह नम्बर 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि सामलिया द्वारा वसीयत को पूर्ण होश हवास में निष्पादित किया था बयान गवाहन से यह साबित है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि सामलिया अपनी मृत्यु से 15 दिन पूर्व सुध बुध खो बैठा था साबित हो। इसलिए यह तनकीह वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं.2 तय की जाती है।

तनकीह नम्बर-10 :- इस तनकीह को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था ऐसा कोई भी साक्ष्य उसकी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी पैतृक है। इसलिए यह तनकीह भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकीह नम्बर-11 :- इस तनकीह को साबित करने का भार भी प्रतिवादी सं.2 पर है। उपरोक्त तनकीहात के विवेचन से यह स्पष्ट हो पाया है कि वसीयत के द्वारा सामलिया ने अपनी चल अचल सम्पत्ति को वादीगण के हक में हस्तान्तरित कर दिया है। कब्जा भी वादीगण का है इसलिए प्रतिवादी सं.2 का विवादित आराजी में कोई स्वत्व शेष नहीं है। इसलिए वह वादीगण को जरिये काश्तकारेम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी नहीं है। इसलिए यह तनकीह भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 2 तय की जाती है।

अनुतोष :- उपरोक्त तनकीहवार विवेचन के आधार पर हम दावा डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 182 रकबा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 183 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 04 बिस्वा स्थित ग्राम मरैना में सामलिया के 1/3 हिस्से में से वादीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः---

1 ता 3 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 4 ता 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आ०क० नं 87 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, 180 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 181 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा स्थित ग्राम मरैना एव आ०ख० 752/96 रकबा 12 बिस्वा स्थित ग्राम इन्द्रावली मे वादीगण संख्या 1 ता 3 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 4 ता 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड मे उपरोक्त आराजीयात से स्वामित्व के नाम के इन्द्राजात को कलमजद किया जाकर उपरानुसार वादीगण सं 1 ता 6 के नाम के इन्द्राज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 2 नत्थो को पहिले स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा न करें। बकाया के अनुतोष बाबत वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस मे जोर नही दिया है। इसलिए बकाया के अनुतोष बाबत दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पालनार्थ तहसीलदार राजाखेड़ा को परवाना जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02-5-2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)